

**Office of Director General  
Department of Higher Education  
Government of Haryana  
Shiksha Sadan, Sec-5, Panchkula  
Advertisement**

**Resolution of Pending Cases of Post Matric Scholarship for SC/BC Students of Higher Education, pertaining to Academic Years 2022-23, 2023-24 and 2024-25.**

Taking into consideration of the representations from various quarters, the Department of Higher Education, Government of Haryana has decided to provide a final opportunity to the students of Colleges and Universities, to resolve the pending cases of students who have applied for Scholarship under the Post Matric Scholarship Scheme for Scheduled Castes (PMS-SC) for the academic years 2022-23, 2023-24 and 2024-25, applied through the Harohitravati Portal,

Therefore, all interested students, whose cases are pending due to incomplete documentation and non-verification of credentials/documents, are hereby instructed to visit their accounts in the portal and get the deficiencies rectified immediately. They are also advised to ensure that their Aadhar is seeded with their Bank Account, if not done yet, immediately. The timelines prescribed for rectification of the deficiencies and other verifications at different levels are as below:

Levels	Deadline
For applications sent to Students	02 days 12.03.2026 and 13.03.2026
Level-1 (Institute Level)	15.03.2026
Level-2 (Nodal Body Level)	17.03.2026
Level-3 (HQ Level)	20.03.2026

The Students and Nodal Officers at all levels (Institutions, Nodal Body Level and HQ Level) must ensure that necessary actions are done within the stipulated timelines. It is strictly notified that after the expiry of these deadlines, the portal will be closed, and no further requests shall be entertained for the above years. The institutions are advised to take action to give wide publicity through all possible means to resolve the pending cases. Any clarification in this regard may kindly be contact on 0172-2565530 or on (Email ID: [higherscholarship201819@gmail.com](mailto:higherscholarship201819@gmail.com))

**Director General,  
Department of Higher Education  
Government of Haryana**

महानिदेशक कार्यालय उच्चतर शिक्षा विभाग  
हरियाणा सरकार  
शिक्षा सदन, सेक्टर-5, पंचकूला

**विज्ञापन**

अनुसूचित जाति (SC) / पिछड़ा वर्ग (BC) के उच्चतर शिक्षा के छात्रों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 से संबंधित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (PMS) के लंबित मामलों का समाधान।

विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त ज्ञापनों (representations) पर विचार करते हुए, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को एक अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह अवसर उन छात्रों के लिए है जिनके द्वारा अनिलखान पोर्टल 'हर छात्रवृत्ति' (Harchhatravrati) पोर्टल के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए अनुसूचित जाति हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (PMS-SC) के तहत आवेदन किया था।

अतः वे सभी इच्छुक छात्र जिनके मामले अधूरे दस्तावेजों या गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण लंबित हैं, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे तुरंत पोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉगिन करें और कमियों को दूर करें। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि यदि अभी तक नहीं किया है, तो वे तुरंत अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक (Seed) करवाएं। विभाग द्वारा स्तरों पर कमियों को सुधारने और सत्यापन के लिए निर्धारित समय सीमा नीचे दी गई है:

स्तर	समय सीमा (Deadline)
छात्रों को भेजे गए आवेदनों के सुधार हेतु	02 दिन 12.03.2026 और 13.03.2026
स्तर-1 (संस्थान स्तर)	14.03.2026
स्तर-2 (नोडल निकाय स्तर)	16.03.2026
स्तर-3 (मुख्यालय स्तर)	18.03.2026

छात्रों और सभी स्तरों (संस्थान, नोडल निकाय और मुख्यालय) के नोडल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी कर ली जाए। यह सख्ती से सूचित किया जाता है कि इन समय सीमाओं की समाप्ति के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और उपरोक्त वर्गों के लिए किसी भी अन्य अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे लंबित मामलों के समाधान हेतु सभी संभावित माध्यमों से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया 0172-2565530 पर संपर्क करें या ईमेल [higherscholarship201819@gmail.com](mailto:higherscholarship201819@gmail.com) करें।

महानिदेशक  
उच्चतर शिक्षा विभाग,  
हरियाणा, पंचकूला